न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जौनपुर।
सत्र परीक्षण सं0– 325/2005
रजिस्ट्रेशन नं0– 325/2005
सी.एन.आर.नं0–यू0पी0जे0पी0–010000352005
स्टेट––––––––––बनाम––––––––––राम बहादुर व अन्य
मु0 अ0 सं0– 370/2004
धारा–302 आई0 पी0 सी0
थाना–सुजानगंज, जिला जौनपुर।

दिनांक–11.01.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त राम बहादुर उपस्थित तथा अभियुक्तगण चन्द्रप्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सिंह, सुरेन्द्र सिंह एवं अशोक सिंह की आज की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी जो आज के लिए स्वीकृत। प्रार्थना पत्र 295ख का निस्तारण होना है।

उक्त प्रार्थना पत्र 295ख वादी दान बहादुर सिंह की तरफ से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मुल्जिमान द्वारा राइफल लेकर चोटहिलों को चोटे पहुंचायी गयी है। मुल्जिमान घातक आयुद्ध से सुसज्जित होकर बलवा किये है जिसके कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 148 आई0 पी0 सी0 का आरोप बनता है। सहवन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 148 आई0 पी0 सी0 का आरोप विरचित नहीं हुआ है जिसका विरचित होना आवश्यक है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 148 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 17.12.2004 को समय लगभग 7.30 बजे सुबह ग्राम देवकली, थाना सुजानगंज जिला जौनपुर में वादी दान बहादुर के दरवाजे पर मुल्जिमान राम बहादुर, ओम प्रकाश, सुरेन्द्र, अशोक एवं चन्द्र प्रकाश लाठी डण्डे एवं असलहो से लैंस होकर मां–बहन की गाली दिये तथा गाली देने से मना करने पर चन्द्र प्रकाश के ललकारने पर कि सालों को गोली मार दो तब वादी के शोर मचाने पर वादी का लड़का राम आसरे एवं चचेरा भाई शिव शंकर वहां पर दौड़कर आये तभी सुरेन्द्र सिंह ने राम आसरे को राइफल से गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गयी तथा चचेरे भाई शिवशंकर को भी गोली मार दी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण राम बहादुर, अशोक, सुरेन्द्र के विरूद्ध धारा 147, 148, 302, 307 आई0 पी0 सी0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 07.12.2005 को अभियुक्तगण राम बहादुर तथा अशोक के विरूद्ध अंतर्गत धारा 147, 302 सपठित धारा 149 एवं 307 सपठित धारा 149 आई0 पी0 सी0 को आरोप विरचित किया गया जबकि अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 148, 302 एवं 307 आई0 पी0 सी0 विरचित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि वादी की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांकित 15.10.2006 से अभियुक्तगण चन्द्र प्रकाश तथा ओम प्रकाश को अंतर्गत धारा 147, 148, 302/149, व 307/149 आई0 पी0 सी0 में आहूत किया गया और दिनांक 26.07.2007 को अभियुक्तगण चन्द्र प्रकाश तथा ओम प्रकाश के विरूद्ध धारा 147, 148, 302 सपठित धारा 149, 307 सपठित धारा 149 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है।

वादी दान बहादुर के तरफ से प्रार्थना पत्र 295ख प्रस्तुत किया गया है कि मुल्जिमान के विरूद्ध धारा 148 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत आरोप सहवन विरचित नहीं किया गया है किन्तु आरोप दिनांकित 07.12.2005 एवं 26.07.2007 के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण सुरेन्द्र, चन्द्रप्रकाश एवं ओम प्रकाश के विरूद्ध धारा 148 आई0 पी0 सी0 का आरोप विरचित किया गया है। दिनांक 07.12.05 को उक्त आरोप विरचित किये जाने के पूर्व, पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि राम बहादुर व अशोक के विरूद्ध धारा 147, 302 सपठित धारा 149, 307 सपठित धारा 149 आई0 पी0 सी0 एवं अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध धारा 148, 302, 307 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद है। तात्पर्यतः पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 07.12.05 को अभियुक्तगण राम बहादुर, सुरेन्द्र एवं अशोक पर आरोप विरचित किये जाने हेतु जो आदेश पारित किया गया उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अभियुक्त राम बहादुर एवं अशोक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप अंतर्गत धारा 147, 302 सपठित धारा 149 तथा 307 सपठित धारा 149 आई0 पी0 सी0 का आरोप विरचित किये जाने हेतु सामग्री मौजूद है यानी अभियुक्त राम बहादुर एवं अशोक के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 148 आई0 पी0 सी0 विरचित न किया जाना सहवन नहीं बल्कि विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर नहीं किया गया है। अभियुक्तगण सुरेन्द्र एवं चन्द्र प्रकाश तथा ओम प्रकाश के विरूद्ध पूर्व में ही धारा 148 आई0 पी0 सी0 के तहत आरोप विरचित है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 295ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 301ख दिनांक 12.01.2023 को पेश हो।

(राजेश कुमार राय)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6021